# भाग – II
## (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव क्रम संख्या/.......................................

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | परियोजना/स्कीम का स्थान | | |
| (i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | (i) | मध्यप्रदेश |
| (ii) | जिला | (ii) | रतलाम |
| (iii) | वन प्रभाग | (iii) | वनमण्डल रतलाम/परिक्षेत्र रतलाम, शिवगढ़, सैलाना के वनखण्ड का नाम–माही भाग–2, रामपुरखो 'एफ', पलसोडी 'बी' आवेदित क्षेत्र................................ |

(अ) वन विभाग के अधीन वन भूमि में –

| परिक्षेत्र का नाम | आरक्षित/ संरक्षित वनखण्ड का नाम | कक्ष क्रमांक | आवेदित क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| रतलाम | संरक्षित वन | P-149,150,185,191 | 16.89 |
| शिवगढ़ | संरक्षित वन | P-120,121,123,146,148 | 18.77 |
| सैलाना | संरक्षित वन | P-125 | 0.45 |
| | योग | | 36.11 |

(ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि में –

| परिक्षेत्र का नाम | तहसील का नाम | ग्राम का नाम | खसरा क्र0 | आवेदित क्षैत्रफल (हे0 में) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| शिवगढ़ | सैलाना | धोड़ापल्ला | 4 | 0.98 |
| | | | 17 | 1.11 |
| | | | 18 | 1.15 |
| | | | 360 | 1.52 |
| | | पाटडी, | 39 | 0.20 |
| | | | 42 | 2.30 |
| | | | 166 | 0.28 |
| | | योग :– | | 7.54 |

कुल आदेवदित क्षेत्रफल 7.54 हे0

| | | | |
|---|---|---|---|
| (iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) | (iv) | 36.11 हेक्टेयर |
| (v) | वन की कानूनी स्थिति | (v) | संरक्षित वन क्षेत्र |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (vi) | वनों का घनत्व | (vi) | आवेदित वनक्षेत्र मिश्रित वन श्रेणी का है जिसका घनत्व 0.2 से कम तक है। औसत घनत्व 0.4 से कम है। |
| (vii) | आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाए। सिंचाई/विघुत परियोजना के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.–2 मीटर और एफ.आर. एल.– 4 मीटर पर भी वृक्ष गणना संलग्न किया जाए। | (vii) | आवेदित क्षेत्र में निम्नानुसार प्रमुख वनस्पति प्रजातियां पायी जाती है। |

| अनु. क्रमांक | प्रजाति का स्थानीय नाम | वानस्पतिक (बाटनीकल) नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | सागौन | Tectona Grandis |
| 2 | पलास | Butea Monosperma |
| 3 | करंज | Pongamia Pinnata |
| 4 | नीम | Azadirachta Indica |
| 5 | बबूल | Acacia Nilotica |
| 6 | खैर | Acacia Catechu |
| 7 | खेजडा | Prosopis JuuliFlora |
| 8 | हल्दू | Adina Cardifolia |
| 9 | धावडा | Anogeissus Latifolia |
| 10 | सादड़ | Terminalia Tomentosa |

आवेदित क्षेत्र नें स्थित वृक्षों की संख्या निम्नानुसार है :–

| | गोलाई वर्गवार संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रजाति | 10–20 | 21–60 | 61–120 | 121 एवं अधिक | कुल |
| सागौन | 826 | 558 | 215 | 15 | 1614 |
| हल्दू | 02 | 09 | 12 | 06 | 29 |
| धावड़ा | 06 | 26 | 07 | 04 | 43 |
| सादड़ | 47 | 39 | 10 | 07 | 103 |
| अन्य | 2570 | 1406 | 502 | 131 | 4609 |
| | | | | योगः– | **6398** |

विस्तृत परिधि (गोलाई) श्रेणीवार वितरण संलग्न है।

<table>
<tr><td>(viii)</td><td>भू–क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी<br>(वर्तमान भू–क्षरण की तीव्रता एवं प्रस्तावित परियोजना में वनक्षेत्र व्यपवर्तन होने पर सम्भावित भू–क्षरण बाबत)</td><td>(viii)</td><td>आवश्यक नही है।</td></tr>
<tr><td>(ix)</td><td>वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी</td><td>(ix)</td><td>आवेदित क्षेत्र संरक्षित वनखण्ड माही भाग–2 की सीमा से लगा है।</td></tr>
<tr><td>(x)</td><td>क्या आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हॉं, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियॉं अनुबंधित की जाए)</td><td>(x)</td><td>आवेदित क्षेत्र रैलाना अभ्यारण से न्यूनतम 8.50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, अधिकतम दूरी लगभग 17 कि.मी. है।</td></tr>
<tr><td>(xi)</td><td>क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉं पाई जाती है, यदि हॉं/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।</td><td>(xi)</td><td>
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">प्रजाति</th><th colspan="3">स्थिति (कृपया टिक करें)</th></tr>
<tr><th>अ.क्र.</th><th>स्थानीय नाम</th><th>वैज्ञानिक नाम</th><th>दुर्लभ</th><th>संकटापन्न</th><th>विशिष्ट</th></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
निरंक</td></tr>
<tr><td>(xii)</td><td>क्या कोई संरक्षित पुरातत्वीय/ पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉं, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।</td><td>(xii)</td><td>आवेदित क्षेत्र तथा इसके आसपास में संरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक नही है। इस संबंध मे प्रमाण–पत्र संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कॉलम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही, तो जॉंचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।</td><td>8</td><td>आवेदित क्षेत्र के चयन में तीन विकल्प मानचित्र एवं तुलनात्मक प्रपत्र पृष्ठ क्रमांक ...... से..........तक संलग्न है। कृपया अवलोकन करे।</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है ? (हॉ/नही) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे है? | 9 | वनमण्डल–रतलाम के वन कक्ष क्रमांक पी–185, पी–149, पी–150, पी–191 के वनक्षेत्र मे संबंधित ठेकेदार के कर्मचारियो द्वारा सीमेन्ट कांक्रीट के 36 पोल (साईज–45x45 x 60 से.मी.) गाडे गये/बनाये गये, जो जमीनी सतह से 30 से 45 से.मी. है, जो माह सितम्बर 2012 में एक सप्ताह तक कार्य किया गया। संबंधित ठेकेदार के कर्मचारी के विरूद्ध उप वनमण्डलाधिकारी, रतलाम के आदेश क्रमांक/राजस्व/2013/195 दिनांक 06–03–2013 से रूपये 1000/– क्षतिपूर्ति जुर्माना कर राशि वसूल कर प्रकरण अभिसंधानित किया गया वर्तमान में कार्य पूर्णतः बन्द है। |
| 10 | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा – | | |
| (i) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये निर्धारित वनेत्तर क्षैत्र/अवक्रमित (बिगडा) वन क्षैत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार | (i) | प्रतिपूरक वनीकरण जिला रतलाम के वनमण्डल रतलाम के अन्तर्गत चयनित गैर वनभूमि पर किया जावेगा जिसका विवरण नीचे संलग्न है। प्राप्त गैर वनभूमि माही भाग–2 वनखण्ड से लगी हुई स्थित है। |

| जिला | वनमण्डल | खसरा क्रमांक/कक्ष क्रमांक | क्षेत्रफल (हे.मे) |
|---|---|---|---|
| रतलाम | रतलान | ग्राम–पूनापाडा सर्वे न.–12,13,19 | 26.18 |
| | | ग्राम–पाटडी सर्वे न.–42 | 9.93 |
| | | योगः– | 36.11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ii) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकारी (उप वनसंरक्षक) का प्रमाण–पत्र | (ii) | वृक्षा रोपण किये जाने वाले क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नही है। तथा वनप्रबंधन की दृष्टि से यह क्षेत्र वृक्षारोपण करने हेतु योग्य है। इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है। |
| (iii) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रनित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीनाओं को दर्शाता मैप (गैर वन भूमि भी वन मानचित्र पर दर्शाई जावे) वनीकरण हेतु चयनित भूमि का पी.डी.ए. अथवा मोबाईल गैपर से सर्वेक्षित डिजिटल मानचित्र (सॉफ्ट–कॉपी)–5 हेक्टेयर से कम के प्रकरणों में 1:3960 स्केल (पटपारी मानचित्र 16 इंच=1 मील) भी संलग्न किया जावें। | (iii) | 1:50000 का वनमण्डलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र संलग्न है। |
| (iv) | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूचित लागत ढाचा आदि | (iv) | दस वर्षीय प्रति पूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न है। योजना पर वर्ष 2016 से 2026 तक कुल रू..... .का व्यय संभावित है। योजना अंतर्गत मुख्यतः 1. सागवान 2. खैर 3. नीम 4. ऑवला 5. बॉस प्रजातियों के 57776 पौधे रोपित किये जावेंगे। कार्य वन विभाग वनमण्डल रतलाम द्वारा किया जावेगा। |
| 11 | उप वन संरक्षक (वनमण्डलाधिकारी) की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7(xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) | 11 | वनमण्डलाधिकारी श्री आर.पी.राय का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 14-07-2015 निर्धारित प्रारूप पर संलग्न है, पृष्ठ क्रमांक 174 से 176 पर है। |
| 12 | विभाग/जिला प्रोफाईल | 12 | वनमण्डलाधिकारी, रतलाम |
| (i) | जिले का भौगोलिक क्षेत्र | (i) | जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 4861 वर्ग किलो मीटर है। |
| (ii) | जिले का वन क्षैत्र | (ii) | जिले का कुल वनक्षेत्र 492.62 वर्ग कि.मी. है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10 % है। |

(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र

(iii) अभी तक जिले में 09 प्रकरणों में कुल 127.658 हेक्टेयर वन क्षेत्र गैर वानिकी कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया।

(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (दांडिक प्रतिपूरक वनीकरण सहित)

(iv) दिनांक 24–10–1980 से भारत सरकार/राज्य सरकार/गोडल अधिकारी मुख्य वनसंरक्षक (भू–सर्वे) से प्राप्त स्वीकृति अनुसार अभी तक 09 प्रकरणों में कुल 130.940 हेक्टेयर वनक्षेत्र गैर वानिकी कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया है।

| वर्ष | दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हे. मे) | दण्डस्वरूप वनभूमि पर (हे. मे) | स्वीकृति अनुसार गैर वनभूमि पर (हे. मे) | दण्डस्वरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे) | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | – | – | 20.350 | – | 20.350 |
| 1990 | – | – | 7.880 | – | 7.880 |
| 1990 | – | – | 6.600 | – | 6.600 |
| 1999 | – | 16.600 | 8.300 | – | 24.600 |
| 1999 | – | – | 19.120 | – | 19.120 |
| 2007 | – | – | 39.590 | – | 39.590 |
| 2010 | – | – | 8.260 | – | 8.260 |
| 2010 | – | – | 4.240 | – | 4.240 |
| **योग :–** | | **16.600** | **114.340** | – | **130.940** |

(क) वनभूमि पर 16.600
(ख) वनेत्तर भूमि पर 114.340
स्वीकृति अनुसार किया जाने वाला कुल वृक्षारोपण 130.940 हेक्टेयर

(v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(v) अभी तक जिले में निम्नानुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है,

| वर्ष | दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हे. मे) | दण्डस्वरूप वनभूमि पर (हे. मे) | स्वीकृति अनुसार गैर वनभूमि पर (हे. मे) | दण्डस्वरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे) | योग | व्यय लाख में |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92–93 | – | – | 20.350 | – | 20.350 | 1.87 |
| 99–2000 | – | 16.600 | – | – | 16.600 | 1.82 |
| 2010–11 | – | – | 39.590 | – | 39.590 | 53.11 |
| 2013–14 | – | – | 26.700 | – | 26.700 | 47.73 |
| 2014–15 | – | – | 8.26 | – | 8.26 | 7.48 |
| **योग :–** | – | **16.600** | **94.90** | – | **111.50** | **112.01** |

(क) वनभूमि पर 16.600
(ख) वनेत्तर भूमि पर 94.90
अभी तक किया गया कुल वृक्षारोपण **111.50** हेक्टेयर

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | प्रस्ताव को स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक का कारण सहित अभिमत<br>नोट – आवेदित वन भूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरीत प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से सम्भावित लाभों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत् स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्ही विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का ब्यौरा दिया जावें। | 13 | डुगंरपूर रतलाम व्हाया बॉसवाडा नई रेलवे लाईन परियोजना में कुल 36.11 हे. संरक्षित वनभूमि प्रभावित होगी प्रभावित वनभूमि मिश्रित वनश्रेणी मे होकर क्षेत्र BL2, BL3 में 0.4 से कन घनत्व का वनक्षेत्र है। जिसमें कोई बहुमूल्य प्रजाति वृक्ष नही होने एवं न्यूनतम वनभूमि उपयोग में होने से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के तीन जिले के ग्रामीण आदिवासीयो के आवागमन के साधन एवं रोजगार उपलब्ध होगा।<br>अतः नई रेलवे लाईन परियोजना निर्माण की अनुशंसा की जाती है। |

दिनांक :
स्थान : रतलाम

[आर.पी. राय]
वनमण्डलाधिकारी
रतलाम